संख्या : 1200 / का–1/1995

प्रेषक,

माता प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 1995

विषय : निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / संगठनों में संवर्गीय अधिकारियों की तैनाती हेतु उपलब्ध पदों को संबंधित संवर्ग में डेप्यूटेशन रिजर्व के रूप में सम्मिलित किया जाना

महोदय,

कार्मिक अनुभाग–1

शासन के अधीन विभिन्न विभागों के प्रशासकीय नियन्त्रण में संचालित विभिन्न निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / संगठनों में संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारियों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। कतिपय निगमों, उपरोक्त संस्थाओं / संगठनों में विभाग के संवर्गीय अधिकारियों की तैनाती स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू है, परन्तु ऐसे पदों को संवर्गीय पदों में सम्मिलित न किये जाने के कारण कतिपय विभागों द्वारा ऐसे निःसंवर्गीय पदों पर काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत तैनाती कर दी जाती है जिससे प्रोन्नति के पद भी नियमित चयन हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते। साथ ही आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है।

2—अतः सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं / संगठनों आदि में स्थायी व्यवस्था के रूप में विभाग के संवर्गीय अधिकारियों की तैनाती की जाती है, वहां उक्त निगमों, संस्थाओं / संगठनों में प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों को चिन्हित कर उनका स्तर तय कर लिया जाय तथा उस स्तर के संवर्गीय पदों में अभिवृद्धि कर डेप्यूटेशन रिजर्व के रूप में अपेक्षित संख्या में पद सृजित करा दिये जायं ताकि ऐसे पदों को संवर्गीय सेवा नियमों के अधीन नियमित रूप से तैनातियां कर भरा जा सके।

3—अतः अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार प्रश्नगत पदों को संबंधित संवर्गों में सम्मिलित किये जाने के शासनादेश जारी कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

माता प्रसाद,
मुख्य सचिव।

संख्या : 1200 / का–1 / 1995, तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रति सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

डा० जी० पी० वार्ष्णेय,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 3 सा० नियुक्ति—15-5-97—(372)—1997—1000—(कम्प्यूटर/आफसेट)